5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs 20 COURT FEE INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

201

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / २०१६ रिव्यू (पुनराविलोकन)

रिवु-3021-I-16

श्री ... द्वारा आज दि. 3-9-16 को प्रस्तुत

१- महिला कैशर बाई पत्नी मोती सिंह,
२- महिला अनीता बाई पत्नी प्रदीप सिंह,
३- भूपेन्द्र सिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह,
४- सुरेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह,
निवासीगण ग्राम फिरन्या, तहसील करहल, जिला श्योपुर-मध्यप्रदेश।

-------- प्रार्थीगण

विरुध्द

मध्यप्रदेश शासन -------------- प्रतिप्रार्थी

पुनराविलोकन आवेदन पत्र विरुध्द आदेश माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश (पीठासीन माननीय सदस्य महोदय श्री एम०के० सिंह), दिनांक ०६-०६-१६ अन्तर्गत धारा ५१ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ । प्र०क्र० २०७-दो । ०७ निगरानी ।

श्रीमान जी,

पुनराविलोकन आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, इस माननीय न्यायालय की विवादित आज्ञा अभिलेख पर प्रत्यक्षदर्शी भूलों पर आधारित होने से निरस्ती योग्य है।

२- यह कि, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि कलेक्टर महोदय ने अपने विवादित आदेश दिनांक १६-११-२००६ के अंतिम पद में संहिता की धारा ५१(१) के आधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर सुनवाई एवम आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता होना माना है, जबकि धारा ५१ के प्रावधान पुनराविलोकन से संबंधित हैं। ऐसी स्थिति में कलेक्टर महोदय द्वारा पारित निगरानी प्रकरण में आदेश अधिकारिता रहित होकर शून्य एवम निष्प्रभावी होकर निरस्ती योग्य हैं। अधिकारिता सम्बन्धी यह आपत्ति इस माननीय न्यायालय में भी तर्क के समय की गई थी एवम अभिलेख से भी

क्रमशः--२

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक– रिव्यू 3021–एक/16 जिला – श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.12.16	दिनांक 20–12–16 को स्थानीय अवकाश होने से प्रकरण आज लिया गया । 2/ आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0के0 अवस्थी एवं अनाावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री राजीव गौतम । उभयपक्षों को ग्राह्यता के बिंदु पर सुना गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में पुनरावलोकन हेतु पर्याप्त आधार हैं । अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा निग0 प्र0क0 207–दो/07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6–6–16 वापिस लिया जाता है तथा उक्त निगरानी प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु नियत किए जाने के आदेश दिए जाते हैं । इस आदेश की एक प्रति मूल निगरानी प्रकरण में रखी जाये । यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	